राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम
(शतप्रतिशत केन्द्र पोषित योजना)

राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम अपारम्परिक ऊर्जा श्रोत मंत्रालय, भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो भारत सरकार द्वारा शतप्रतिशत वित्त–पोषित है. ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी जो बायोगैस संयंत्र लगाने के इच्छुक हों योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाते हैं. पर्वतीय क्षेत्र में 1 घनमीटर आकार पर रु0 4,000 एवं इससे अधिक पर रु0 10,000 अनुदान देय है।

उद्देश्य :

1. भोजन बनाने हेतु स्वच्छ बायोगैस ईधन उपलब्ध कराना एवं LPG तथा अन्य परम्परागत ईधन की खपत को कम करना।
2. 'एकीकृत ऊर्जा नीति' द्वारा परिकल्पित भोजन निर्माण हेतु आवश्यक 'लाइफ लाइन ऊर्जा' की पूर्ति सुनिश्चित करना।
3. बायो–उर्वरक/जैविक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कर रसायनिक खाद के उपयोग को कम करना।
4. ग्रामीण महिलाओं के कार्य बोझ को कम करना, वनों पर पड़ने वाले दबाव को कम करते हुए सामाजिक लाभ पर बल देना।
5. शौचालयों को बायोगैस संयंत्रों से जोड़ते हुए गांवों की स्वच्छता में सुधार करना।
6. ब्लैक कार्बन तथा मीथेन उत्सर्जन से होने वाले दुश्प्रभाव से बचाव करते हुए जलवायु परिवर्तन को कम करना।

आकार तथा मॉडल निर्धारण :

बायोगैस संयंत्र 1–4 घनमीटर के आकार तक क्षमता के ही बनायें जाएं. घरेलु इस्तेमाल लायक बायोगैस संयंत्रों के उचित मॉडल का चयन लाभार्थियों को वरीयता और तकनीकी आवश्यकताओं, जैसे कि, स्थान की उपलब्धता, रसोईघर और गौशाला के बीच की दूरी, पानी की उपलब्धता तथा (Feed-Stock), यथा गोबर, रसोईघर, ढीले और पत्तेदार बायोमॉस एवं बायोमॉस अवशेष को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए. बायोगैस संयंत्र के पूर्वनिर्मित मॉडल High Density Polyethelene (HDPE), Fiber-glass Reinforced plastic (FRP) तथा Reinforced Cement Concrete (RCC) के अलावा फेरो सीमेंट और ईट–चिनायी बायोगैस संयंत्र के रूप में भी उपलब्ध है.